105 III/निग०/रीवा/2018/0511

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

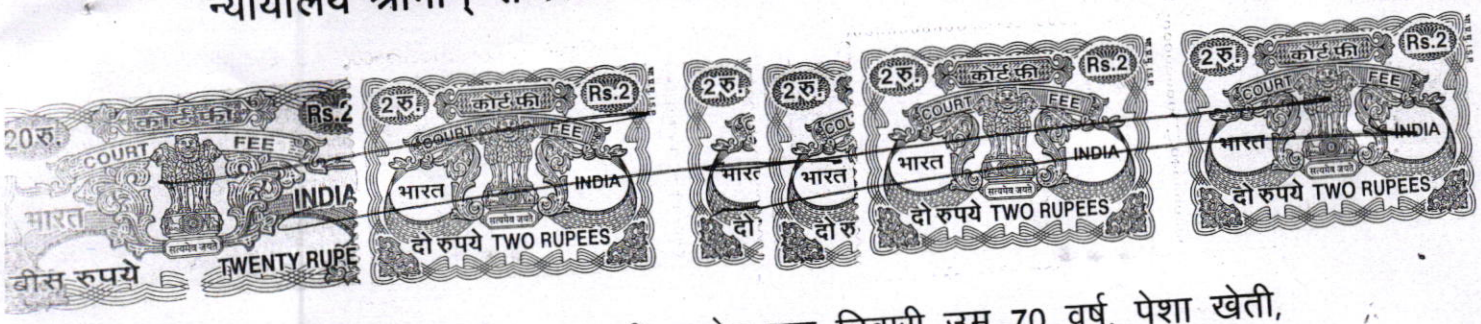

प्रहलाद राम तिवारी तनय श्री बल्देव राम तिवारी उम्र 70 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम बरेठीकला, तहसील जवा, थाना पनवार, जिला रीवा म0प्र0

———— **निगरानीकर्ता**

बनाम

1— शंकर शरण द्विवेदी तनय रामसिरोमणि द्विवेदी निवासी ग्राम बरेठीकला, तहसील जवा, थाना पनवार, जिला रीवा म0प्र0

2— राजस्व निरीक्षक (नत्थूलाल रावत) सर्किल जवा, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0

————**गैरनिगरानीकर्तागण**

अधि० श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा पेश 18-01-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)

निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0 राजस्व प्रकरण क0–86/ए–12/2016–17 आदेश दिनांक 03.06.2017

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर्

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1— यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यहकि गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा भूमि नं0–904 का सीमांकन चोरी–चोरी कराया गया है, उसके चौहद्दी काश्तकार आराजी नं0–905 के भूमिस्वामी प्रहलाद प्रसाद तिवारी हैं, चोरी–चोरी सीमांकन किये जाने पर निगरानीकर्ता के द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, लेकिन राजस्व निरीक्षक के द्वारा शंकरशरण के कथनानुसार उसके मौजूदगी एवं उसके आदमियो के समक्ष नाप जोखकर सीमांकन की कार्यवाही की गई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/511

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ता
17/7/18	यह निगरानी तहसीलदार तहसील जवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 86 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 3–6–17 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र–1 ने तहसीलदार तहसील जवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय अभिलेख में उसके नाम अंकित भूमि सर्वे कमांक 904 रकबा 0.168 है. के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार जवा ने प्रकरण कमांक 86 अ–12/16–17 पंजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी के माध्यम से सीमांकन की सूचना जारी की । राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी के साथ मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन बनाया, जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार जवा ने आवेदक को आपत्ति आवेदन पर सुनकर प्रकरण कमांक 86 अ–12/16–17 में आदेश दिनांक 3–6–17 पारित किया तथा आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक–1 की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है , किन्तु यह भी निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है। अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह स्वयं की भूमि का सीमांकन आर.आई. से वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख/सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण	

अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 3–6–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य